प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 27 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विशाल परमानन्द पुत्र श्री राजेश परमानन्द निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14-09-2022) दिनांक-02-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विशाल परमानन्द पुत्र श्री राजेश परमानन्द, जो चर्च कम्पाउन्ड निकट बस स्टैण्ड, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। वादी के पुत्र का अपहरण के बदले रूपये वसूलने को लेकर दिनांक 06.09.2004 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धनंजय जोशी उम्र 07 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-403/2005 में भा०द०वि० की धारा-364ए, 302 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.09.2009 द्वारा मृत्युदण्ड़ की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-08.09.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रमावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी को कारागार में रखना उचित होने व बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अपहरण के बदले रूपये वसूलने के उद्देश्य से दिनांक 06.09.2004 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धनंजय जोशी उम्र 07 वर्ष की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विशाल परमानन्द पुत्र श्री राजेश परमानन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विशाल परमानन्द (बन्दी संख्या-529/18) पुत्र श्री राजेश परमानन्द निवासी जनपद-गाजियाबाद को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-679/2025/3561(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दि□नांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-679/2025/3561/22-2-2022-17(1473)/2022

दिनांक: 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विशाल परमानन्द पुत्र श्री राजेश परमानन्द, जो चर्च कम्पाउन्ड निकट बस स्टैण्ड, थाना-मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। वादी के पुत्र का अपहरण के बदले रूपये वसूलने को लेकर दिनांक 06.09.2004 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धनंजय जोशी उम्र 07 वर्ष की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-403/2005 में भा०द०वि० की धारा-364ए, 302 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 16.09.2009 द्वारा मृत्युदण्ड़ की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक-08.09.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 11 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रमावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी को कारागार में रखना उचित होने व बन्दी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अपहरण के बदले रूपये वसूलने के उद्देश्य से दिनांक 06.09.2004 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धनंजय जोशी उम्र 07 वर्ष की गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विशाल परमानन्द पुत्र श्री राजेश परमानन्द को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।